# नियमावली

1. संस्था का नाम :: [illegible] समिति।
2. संस्था का पूरा पता :: [illegible] जिला- [illegible]।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

**आजीवन सदस्य**

जो व्यक्ति संस्था को [illegible] 1000/- [illegible] एक [illegible] शुल्क [illegible] सम्मिलित [illegible] संस्था का [illegible] सदस्य माना जायेगा।

**विशिष्ट सदस्य**

[illegible] संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

**साधारण सदस्य**- जो व्यक्ति संस्था को 101/- रुपये [illegible] शुल्क [illegible] सम्मिलित [illegible] संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति-
   1. मृत्यु होने पर
   2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
   3. संस्था के प्रति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करने पर।
   4. [illegible] अशिष्टतापूर्ण प्रस्ताव रखने पर दोषित होने पर।
   5. कमेटी द्वारा घोषित नियमों के पालन न करने पर
   6. दिवालिया होने पर।
   7. [illegible] शुल्क न देने पर।
   8. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
   9. [illegible] अनियमितता एवं विशेषतः अनियमितता करने पर।

6. संस्था के अंग- अ- साधारण सभा ब-प्रबन्धकारिणी समिति।

7. साधारण सभा-

क- गठन- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ख- बैठक- साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग- सूचना अवधि-
साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी।

[illegible]

[illegible]
[illegible] तथा चिट्ठा
[illegible]

Sneha Yadav

[illegible]

**वार्षिक अधिवेशन की तिथि**

[illegible]

**साधारण सभा के कार्य**

1. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
2. प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना तथा आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान करना।
3. [illegible] के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना।
4. संस्था के पूर्व अभिलेखों पर अवलोकन रखना।
5. प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियों की नियुक्ति पर पुनरावलोकन तथा उचित मार्गदर्शन में की गयी सभी प्रकार कार्यवाहियों की स्वीकृति प्रदान करना।
6. सदस्यों की सदस्य पद स्वीकृत करना तथा रिक्त सदस्यों की पूर्ति करना।
7. समिति के रिक्त सदस्यों की पूर्ति पूर्व सदस्यों के द्वारा करायेगा।
8. सभा के सदस्यों में अवलोकनानुसार सदस्यता समिति 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा करायेगी। जिसमें प्रबन्धक/सचिव की उपस्थिति अनिवार्य व सदस्य की निष्क्रिय समीक्षा होगा।

## 8. प्रबन्धकारिणी समिति-

1. गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के आधार पर होगा (सदस्य व पदाधिकारी सभा से चयन होंगे और कुल की संख्या 12 की होगी)
2. बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में चार बार आवश्यक होगी आवश्यकतानुसार (2) विशेष बैठक 30 दिन पूर्व सूचना का सकती है।
3. सूचना-अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति के आयोजन बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 2 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।
4. गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा। आकस्मिक बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
5. रिक्त स्थानों की पूर्ति- रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर सभी सभा से मनोनयन के लिए की जायेगी।

**प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य-**

1. सभा के दिन के साथ प्रस्ताव के प्रस्तुत करना।
2. सभा का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. सभा का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों, वैज्ञानिकों, समाजों, राष्ट्रीयकृत बैंक/विदेशी संस्था, व्यक्ति/संस्थाओं से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
5. प्रबन्ध समिति द्वारा समय समय उद्देश्यों के संशोधन व संशोधन किया जा सकता है।
6. आकस्मिक खर्चों में 5 से प्रबन्धक/सचिव का पूरा होगा।
7. संस्था के लाभार्थ से प्रदेश के प्रशासनिक स्थलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने से केवल 5 वर्ष का होगा।

Sneha Yadav

10. [illegible] के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

कर्तव्य:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

अध्यक्ष

[illegible]

प्रबन्धक / सचिव

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible] प्रबन्धक/सचिव का होगा। प्रबन्धक/सचिव द्वारा [illegible] की गयी स्वीकृत की जाने होगी।
7. [illegible]
8. [illegible]
9. किसी भी बैठक में [illegible] अपना निर्णायक मत देना।
10. [illegible] करना।
11. कर्मचारियों के नियुक्ति पदोन्नति निलम्बन व निष्कासन करना।
12. [illegible] करना।
13. [illegible] करना।
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible] प्रस्तुत करना।
18. [illegible] प्रबन्धक/सचिव का होगा।
19. प्रबन्धक/सचिव का निर्णय अन्तिम एवं [illegible] होगा।
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]

कोषाध्यक्ष

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11. **संस्था के निदेशकों एवं लिपिकों में संशोधन प्रक्रिया**

[illegible]

12. **संस्था का सील**

[illegible]

13. **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट)**

[illegible]

14. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का अधिकारीगण**

[illegible]

15. **संस्था के अभिलेख**

1. सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर 3. सूचना रजिस्टर 4. स्टाक रजिस्टर 5. बैंक बुक आदि।

16. संस्था के निदेशक और लिपिक सदस्यों के निलम्बन की कार्यवाही संशोधनीय रीति की धारा 13 व 14 में अन्तर्गत की जायेगी।

सत्यप्रतिलिपि

प्रमाणित-

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक [illegible]
कृषि, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र०, गोरखपुर

[illegible] कर्ता
विभाग कर्ता